37

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
61/2018/प्रा.पत्र/2018	03.12.2018	14.06.2019

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र केसर लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स महावीर प्रसाद निर्मल कुमार जैन पटवा बाजार देवली जिला टोंक निवासी विवेकानन्द कॉलोनी देवली जिला टोंक
2– मैसर्स महावीर प्रसाद निर्मल कुमार जैन पटवा बाजार देवली जिला टोंक
3–श्री सतीश अग्रवाल पुत्र मिश्री लाल प्रबन्धक मैसर्स अंजनी ट्रेडर्स सदर बाजार देवली जिला टोंक निवासी पटवा बाजार देवली जिला टोंक
4– मैसर्स अंजनी ट्रेडर्स सदर बाजार देवली जिला टोंक
5–श्री कुनाल चन्दानी पुत्र सुरेश कुमार चन्दानी प्रोपरायटर मैसर्स कुन्दन इडिबल ऑयल इण्डस्ट्रीज बायपास रोड के पास गणेशपुरा ब्यावर जिला अजमेर राज0 निवासी 31 शास्त्री नगर वार्ड नं. 40 व्यावर जिला अजमेर राज0
6– मैसर्स कुन्दन इडिबल ऑयल इण्डस्ट्रीज बायपास रोड के पास गणेशपुरा ब्यावर जिला अजमेर राज0

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–:

दिनांक 14.06.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.09.2018 को समय सांय 3.32 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स महावीर प्रसाद निर्मल कुमार जैन पटवा बाजार देवली जिला टोंक पर पहुंचां। विकेता की हैसियत से महावीर प्रसाद जैन पुत्र केसर लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स महावीर प्रसाद निर्मल कुमार जैन पटवा बाजार देवली जिला टोंक निवासी विवेकानन्द कॉलोनी देवली जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एंव मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे मूंगफली तेल शुभ मंगल मूल प्लास्टिक बोतल पैक **(Groundnut Oil Shob Mangal Origional Plastic Bottle Pack)** जिसके बैच नं. अनुपस्थित एंव पैकिग दिनांक सितम्बर 2018 थे, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री महावीर प्रसाद जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता महावीर प्रसाद जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में मूंगफली तेल शुभ मंगल मूल प्लास्टिक बोतल पैक **(Groundnut Oil Shob Mangal Origional Plastic Bottle Pack)** की 12 बोतल मे से 910–910 ग्राम के ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड 4 मूल पैक बोतल का चयन किया वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से मूगफली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

835

Scanned by CamScanner

तेल शुभ मंगल मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Groundnut Oil Shob Mangal Origional Plastic Bottle Pack) वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री महावीर प्रसाद जैन को रू0 400/—अक्षरे चार सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा मूंगफली तेल शुभ मंगल मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Groundnut Oil Shob Mangal Origional Plastic Bottle Pack) 910—910 ग्राम 4 सील पैक बोतलो के बराबर—बराबर चार भाग तैयार कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I—1925 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग—अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I—1925 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. महावीर प्रसाद जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य पदार्थ का नमूना कय करते समय श्री महावीर प्रसाद जैन ने मौके पर मूंगफली तेल शुभ मंगल मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Groundnut Oil Shob Mangal Origional Plastic Bottle Pack) का वारन्टी बिल मांगने पर मौके पर वारन्टी मैसर्स अजंनी ट्रेडर्स गुरूनानक मार्केट जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक का खरीद बिल कमांक/इन्वॉइस नं. 232 दिनांक 28.09.2018 की छायाप्रति प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल शुभ मंगल मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Groundnut Oil Shob Mangal Origional Plastic Bottle Pack) कय करना बताया। मैसर्स अजंनी ट्रेडर्स गुरूनानक मार्केट जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक ने मैसर्स कुन्दन इडिबल ऑयल इण्डस्ट्रीज बायपास रोड के पास गणेशपुरा ब्यावर जिला अजमेर राज0 का खरीद बिल कमांक/इन्वॉइस नं. 1031 दिनांक 12.09.2018 की छायाप्रति प्रस्तुत की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./18/2885 दिनांक 06.11.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/466/एक्ट/2018/472 दिनांक 08.10.2018 के अनुसार महावीर प्रसाद जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया मूंगफली तेल शुभ मंगल मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Groundnut Oil Shob Mangal Origional Plastic Bottle Pack) खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-branded)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा स्तर का मूंगफली तेल शुभ मंगल मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Groundnut Oil Shob Mangal Origional Plastic Bottle Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 **(ii)** का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस मूंगफली तेल शुभ मंगल मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Groundnut Oil Shob Mangal Origional Plastic Bottle Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मूंगफली तेल शुभ मंगल मूल प्लास्टिक बोतल पैक **(Groundnut Oil Shob Mangal Origional Plastic Bottle Pack)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व मिथ्याछाप **(Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 के तहत अप्रार्थी श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र केसर लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स महावीर प्रसाद निर्मल कुमार जैन पटवा बाजार देवली जिला टोंक निवासी विवेकानन्द कॉलोनी देवली जिला टोंक पर शास्ती 5,000/- (अक्षरे पांच हजार रू0) अप्रार्थी श्री सतीश अग्रवाल पुत्र मिश्री लाल प्रबन्धक मैसर्स अजनी ट्रेडर्स सदर बाजार देवली जिला टोंक निवासी पटवा बाजार देवली जिला टोंक पर शास्ति 10,000/- (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री कुनाल चन्दानी पुत्र सुरेश कुमार चन्दानी प्रोपरायटर मैसर्स कुन्दन इडिबल ऑयल इण्डस्ट्रीज बायपास रोड के पास गणेशपुरा ब्यावर जिला अजमेर राज0 निवासी 31 शास्त्री नगर वार्ड नं. 40 ब्यावर जिला अजमेर राज0 पर शास्ति 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0)आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.06.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner